

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू  
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2025/90

मुकदमा नम्बर 20/2025

दर्ज दिनांक— 05.03.2025

महेश कुमार पुत्र बीरबल जाति मेघवाल निवासी पुजारी की ढाणी, बीलवा, तहसील नवलगढ़,  
जिला झुझुनू

—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

—अनावेदक

वकील आवेदक : — श्री तेजपाल सिंह, विप्लव पण्डित

वकील अनावेदक :- पैरा. राज.

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट


:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 21.04.2025

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम पुजारी की ढाणी पटवार हल्का पुजारी की ढाणी की सरहद में भूमि खाता सं. नया 112 पुराना 213 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1014 रकबा 0.02, खसरा नं. 1108 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 1109 रकबा 1.60 है0, खसरा नं. 1111 रकबा 0.12 है0, खसरा नं. 1112 रकबा 0.60 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.36 है0 तथा राजस्व ग्राम पुजारी की ढाणी पटवार हल्का पुजारी की ढाणी की सरहद में भूमि खाता सं. नया 206 पुराना 112 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 998 रकबा 1.16 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम मनेष कुमार पुत्र बीरबल की बजाय महेश कुमार पुत्र बीरबल दुरुस्त किया जावे।

प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरा. राज. रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2025/7094 दिनांक 15.04.2025 पेश हुई जिसके अनुसार रिकार्ड दुरुस्त किया जाना उचित बताया है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रा. पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2025/7094 दिनांक 15.04.2025 के अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ़ (झुझुनू)

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पुजारी की ढाणी पटवार हल्का पुजारी की ढाणी की सरहद में भूमि खाता सं. नया 112 पुराना 213 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1014 रकबा 0.02, खसरा नं.1108 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 1109 रकबा 1.60 है0, खसरा नं. 1111 रकबा 0.12 है0, खसरा नं. 1112 रकबा 0.60 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.36 है0 तथा राजस्व ग्राम पुजारी की ढाणी पटवार हल्का पुजारी की ढाणी की सरहद में भूमि खाता सं. नया 206 पुराना 112 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 998 रकबा 1.16 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम मनेष कुमार पुत्र बीरबल की बजाय महेश कुमार पुत्र बीरबल दुरुस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ़ राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 21.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जय सिंह)RAS

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़  
जिला-झुंझुनू